

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक- एफ 73- 67 /20-3/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक - जून 2005

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अक्षासकीय संस्था को संस्कार अकादेमी आगर मालवा, जिला झाजपुर, मध्य प्रदेश को सी. वी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु स्न.ओ. सी. देने बाबत ।

== 00, ==

राज्य शासन द्वारा अक्षासकीय संस्था को संस्कार अकादेमी आगर मालवा, जिला झाजपुर को सी. वी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर विधा जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य क्षमता में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के परीक्षक/परीक्षा हे को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए दिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों को अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु रेखा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन को आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर.....

Purita Bharani

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



§ आर. आर. अहिरवार §
अवर सचिव

मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पू. क्र. एफ 73 - 67 / 20-3/2005

भोपाल, दिनांक - 29 जून 2005

प्रतिनिधि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मोप्रो भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - झाजापुर, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, अमा ^{अ.ब.ए.} श्री संतकार अश्विनी आगर मालवा, जिला झाजापुर, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अत्रिपत्र है।


अवर सचिव

मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//

30.12.04

